दिनांक 11.10.11 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में श्रीमती मीरा कुमार माननीय अध्यक्षा, लोक सभा की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय, रोहतास, सासारम के सभा भवन में सम्पन्न जिला निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – उपस्थिति पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्षा एवं सभी सदस्यों और पदाधिकारियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्षा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्य विधान सभा एवं जन प्रतिनिधियों, जिला पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उन्होनें कहा कि जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है एवं इस बैठक के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाती है तथा कार्य कैसे निर्धारित अवधि में अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा हो उसपर सदस्यों का महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात माननीया अध्यक्ष द्वारा जिला पदाधिकारी को बैठक संचालित करने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा गत बैठक की कार्यवाही के सबंध में बतलाया गया कि सभी विभागों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसे सम्पुष्ट किया जा सकता है। तदपश्चात गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी। इसके बाद निम्न क्रम से विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई :–

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–

उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम द्वारा बतलाया गया कि मनरेगा योजना अन्तर्गत अभीतक 346294 परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। 01.04.2011 को जिले में कुल 1816 योजनाएँ लंबित थी तथा वर्ष 11–12 में 507 नई योजनाएँ ली गयी। इस प्रकार कुल 2323 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिनमें 775 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 1548 योजनाओं में कार्य चल रहा है। कुल उपलब्ध राशि 2929.98 लाख रू0 में से 1749.50 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका है। सरकारी निदेश के आलोक में सभी मजदूरों का मजदूरी भुगतान पोस्ट ऑफिस एवं बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि गत बैठक में निदेश दिया गया था कि जो योजनाएँ पूरी हो गयी हैं उन योजनाओं की फोटोग्राफी कराई जाय तथा उसकी प्रदर्शनी भी लगायी जाय। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि गया में प्रदर्शनी लगी थी जिसमें इस जिले की कुछ उत्कृष्ट योजनाओं के फोटोग्राफ का प्रदर्शन किया गया था। निदेश दिया गया कि पूर्ण योजनाओं की स्थाई प्रदर्शनी जिला मुख्यालय में लगाई जाय और योजनाओं की पूर्णता पर ध्यान दिया जाय तथा स्मार्ट कार्ड लागू किया जाय।

उप विकास आयुक्त ने बतलाया कि लगभग 300 पूर्ण योजनाओं का फोटोग्राफ तैयार कराया गया है। स्मार्ट कार्ड के सम्बंध में उनके द्वारा बतलाया गया कि स्मार्ट कार्ड केवल पटना में ही लागू है अन्य जिलों में अभी लागू नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्षा, जिला परिषद ने कहा कि वर्ष 11–12 में जो योजनाएँ चयनित की गयी है वह अभीतक पूरी नहीं हुई है इसे पूरा कराया जाय।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। द्वितीय किस्त विमुक्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार भेज दिया गया है। इस जिले को 2929.98 लाख रू0 की राशि उपलब्ध है जिसमें से 1749.50 लाख रू0 खर्च किया जा चुका है। बतलाया गया कि जिस पंचायत में एक लाख रू0 से कम

राशि रह जाती है उस पंचायत में 3.00 लाख रू0 तत्काल उपलब्ध करा दिये जाते हैं। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति मद में भी राशि विमुक्त कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र राम, प्रमुख, नौहट्टा ने कहा कि कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति की योजनाओं का अभिलेख नहीं खोला जा रहा है।

इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत समिति द्वारा दो पंचायतों को जोड़ने वाली योजनाओं का ही चयन किया जाना है। चयनित योजनाओं का अभिलेख खोले जाने हेतु सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है।

श्री मंगल राम, प्रमुख, चेनारी ने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है लेकिन चेनारी प्रखण्ड में छः माह के बाद पैसा भेजा गया है।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिस पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वहॉ राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

माननीय अध्यक्षा द्वारा निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र कब आया है तथा राशि कब विमुक्त की गयी और राशि कब भुगतान की गयी है उसकी जॉंच कराई जाय।

जिला पदाधिकारी द्वरा निदेश दिया गया कि राशि उपलब्ध होने पर जिन योजनाओं में भुगतान बाकी है उसका भुगतान करने के पश्चात ही अन्य प्रखंडों को राशि उपलब्ध कराई जाय।

श्री शक्तिधर चौधरी, प्रमुख, शिवसागर ने कहा कि वर्ष 11–12 का लक्ष्य मार्च माह में ही खत्म हो गया है। उन्होंने ली गई योजनाओं की जानकारी मांगी एवं जानना चाहा कि पंचायत एव पंचायत समिति में कितनी योजनाएँ ली गयी है ?

उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं को ग्राम सभा से पारित होना है तथा जिला परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। जो योजनाएँ प्रारंभ हो गयी है उन योजनाओं का कार्य पूरा कराना है। (अनुपालन – उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम/निदेशक लेखा एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सासाराम)

(2) <u>इन्दिरा आवास योजना :–</u>

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों में दिनांक 27 अगस्त एवं 24 सितम्बर को तिथि का निर्धारण कर इन्दिरा आवास योजना के कैम्प का आयोजन किया गया था। वर्ष 2011–12 में इस जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 7964 के विरूद्ध 7294 इन्दिरा आवासों का चयन आयोजित शिविरों में किया गया है। शिविर में ही लाभार्थियों का खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी है।

माननीय विधायक श्री रामधनी सिंह ने कहॉ कि किस प्रखंड में कितने इन्दिरा आवासों का चयन किया गया है उसकी लाभार्थियों की सूची माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकाश आयुक्त को निदेश दिया गया कि चयनित इन्दिरा आवास के लाभार्थियों की सूची सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय तथा उसे वेबसाईट पर भी अपलोड करा दिया जाय।

श्री जय कुमार सिंह, माननीय विधायक के प्रतिनिधि श्री विजय सिंह द्वारा प्रश्न उठाया गया कि प्रतीक्षा सूची में 11–12 अंक के लोगो को छोडकर अनियमित तरीके से बीच के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जाता है।

उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्ष 2008 से बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने हेतु आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। कुल 173009 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसकी जाँच कराकर अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा कुल 52778 नाम बी0पी0एल0 सूची में जोड़ने हेतु अनुशंसा की गयी। तद्नुसार प्रखण्डवार प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी। सरकारी निदेश के अनुसार पूर्व से तैयार प्रतीक्षा सूची में उपर्युक्त नये लाभुकों की प्रतीक्षा सूची से मिलान करने के बाद न्यूनतम स्कोर के लाभुकों को पहले आई0ए0वाई0 का लाभ देना है। इस निदेश के अनुसार लाभुकों का चयन कर दिनांक 27.08.2011 के शिविर में लाभुकों की पासबुक में राशि की प्रविष्टि कर पासबुक वितरित की गयी। उपर्युक्त दोंनो सूचियों में स्कोर बराबर होने के बाद इसके बाद के लाभुकों को आई0ए0वाई0 की स्वीकृति दी जाएगी।

माननीय अध्यक्षा ने जानना चाहा कि जो इन्दिरा आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है ? आवासों की आयु एवं डिजाईन के संबंध में जानकारी मांगी गयी।

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि लाभुकों को राशि खाते के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है। लाभुकों द्वारा अपना आवास स्वयं बनाया जाता है एवं वे अपने पास से राशि खर्चकर अपनी इच्छानुसार आवास पूर्ण कराते हैं। बनाए गए आवासों की गुणवता अच्छी रहती है। उप विकास आयुक्त ने बतलाया कि लाभुकों को आई0ए0वाई0 से सहायता राशि अनुदान के रुप में दी जाती है। लाभुकों को यह छूट है कि अपनी ओर से अधिक राशि खर्च कर अपनी आवश्यकतानुसार मकान का निर्माण करा सकें। जहॉ तक आवासों की आयु का प्रश्न है इस संबंध में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन सरकार से प्राप्त नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश माननीय अध्यक्षा ने दिया।

माननीय अध्यक्षा, जिला परिषद, ने कहा कि कई लोगों का आवास बाढ़ में गिर गया है और लोग बेघर हो गये हैं। उन्हें कैसे आवास उपलब्ध कराया जा सकता है ?

जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिस लाभार्थी का घर गिर गया है उसकी फोटोग्राफी कराकर आवेदन देना होगा। उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत आवास निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री रवीन्द्र राम, प्रमुख, नौहट्टा ने कहा कि नौहट्टा प्रखंड में जिन्हे पूर्व में इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया गया है उनका घर गिर गया है।

उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि सरकार की गाईड लाईन के अनुसार जिन्हें एक बार इन्दिरा आवास का लाभ मिला है उन्हें दोबारा इन्दिरा आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

श्री कामेश्वर सिंह, प्रमुख, रोहतास ने कहा कि रोहतास प्रखंड में बहुत लोगों का धर गिर गया है। जिनका पक्का मकान है उनका नाम बी0पी0एल0 सूची में रखा गया है तथा जो गरीब हैं उनका नाम छूट गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि नये सिरे से सर्वे का कार्य शुरू होने वाला है उसमें काफी सतर्कता बरतने की आवश्यक्ता है ताकि कोई गडबड़ी नहीं हो सके। (अनुपालन -- उप विकास आयुक्त / निदेशक, लेखा एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0)

(3) स्वर्ण जयन्ती स्व रोजगार योजना :–

उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि 1 जनवरी से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना को बन्द कर राष्ट्रीय जीविकोपार्जन मिशन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

जिला पदाधिकारी ने बतलाया कि प्रखंडो में प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन कर वित्त पोषण की कार्रवाई की जाती है।

माननीय विधायक श्री रामधनी सिंह ने जानना चाहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को कौन–कौन सी योजना का लाभ दिया जाता है।

निदेशक, डी०आर०डी०ए० ने बतलाया कि प्रारम्भ में स्वयं सहायता समूहों का गठन कर आपस में लेन–देन की शुरूआत करते हैं। इसमें खासकर महिलाओं के समूहों का गठन किया जाता है। प्रत्येक माह इसकी बैठक होती है। 6 माह के बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है। समूहों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फन्ड उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

माननीय अध्यक्षा द्वारा जानकारी दी गयी कि आंध्रप्रदेश राज्य में इस योजना अन्तर्गत ग्रुप का गठन कर काफी अच्छा कारोबार किया जाता है। अतः योजना काफी लाभकारी है एवं इस संबंध में लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाय। (अनुपालन – उप विकास आयुक्त / निदेशक, डी०आर०डी०ए०)

(4) डी०आर०डी०ए० प्रशासन :–

उप विकास आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि डी०आर०डी०ए० प्रशासन मद में 01.04.11 को 36.223 लाख रू० की राशि उपलब्ध थी तथा केन्द्रांश के रूप में 71.410 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है। कुल उपलब्ध राशि 107.633 लाख रू० में से अगस्त, 11 तक कुल 83.910 लाख रू० व्यय किया जा चुका है तथा 23.723 लाख रू० अवशेष है।

(5) बी०आर०जी०एफ० योजना :–

उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि बी०आर०जी०एफ० मद में कुल 6177 योजनाएँ ली गयी है जिसमें 2785 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा 3392 योजनाओं में काम चल रहा है। कुल उपलब्ध राशि 6453.98 में से 5969.87 लाख रू० का व्यय हुआ है तथा 584.11 लाख रू० की राशि अवशेष बची हुई है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि कर्णांकित राशि के अनुरूप ही योजनाओं का चयन करना है इसके अतिरिक्त लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है।

माननीय विधायक श्री रामधनी सिंह ने कहा कि बी०आर०जी०एफ० के तहत किस–किस तरह की योजनाएं ली गयी है ?

उप विकास आयुक्त ने कहा कि हर प्रक्षेत्र से योजनाएं ली गयी है। बतलाया गया कि सभी विभागों की अपनी–अपनी योजनाएँ है एवं जिन योजनाओं का कार्य किसी विभाग / किसी योजना अन्तर्गत नहीं कराया गया है या कोई योजना छूट गयी है वैसी योजनाओं का कार्य बी०आर०जी०एफ० के माध्यम से

कराया जा सकता है। छूटी हुयी कड़ी को जोडने का काम बी0आर0जी0एफ0 के माध्यम से कराया जाता है।

(6) **सांसद मद :–**

निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम सह प्रभारी पदाधिकारी विकास द्वारा बताया गया कि माननीय अध्यक्षा के सांसद मद में कुल 174.12 लाख रू0 की राशि उपलब्ध थी जिसके विरूद्ध 63.42 लाख रू0 इस वित्तीय वर्ष में अभी तक व्यय किया गया है तथा अभी 110.70 लाख रू0 की राशि अवशेष है। माननीय सांसद श्री महाबली सिंह के सांसद मद में कुल उपलब्ध राशि 247.50 लाख रू0 में से 100 लाख रू0 की राशि औरंगाबाद जिले को भेजी गयी है एवं 66.22 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 81.28 लाख रू0 की राशि अवशेष बची हुई है।

माननीय सांसद श्री जगदानन्द सिंह के सांसद मद में कुल उपलब्ध 50.00 लाख रू0 की राशि में से 22.50 लाख रू0 खर्च किया गया है तथा अभी 27.50 लाख रू0 की राशि अवशेष बची हुई है।

निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम द्वारा बतलाया गया कि माननीय अध्यक्षा के सांसद मद की राशि से अभी तक कुल 25 योजनाओं में स्वीकृति दी गयी है। बतलाया गया कि अंचलाधिकायों से जमीन का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हाने के कारण सामुदायिक भवनों के निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति का कार्य लम्बित है। जिसे शीघ्र स्वीकृत कर दिया जाएगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारियों को बुलाकर स्थल का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

माननीय अध्यक्षा द्वारा सभी योजना स्थलों पर बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया है। माननीय अध्यक्षा द्वारा सांसद मद के तहत सामुदायिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन बनाने हेतु भी निदेशित किया गया। मॉडल प्राक्कलन में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा भी सम्मिलित किए जाने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता एन0आर0ई0पी0 को सामुदायिक भवन का मॉडल प्राक्कलन 3–4 लाख रू0 के अंदर का बनाने का निदेश दिया गया । (अनुपालन– निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, रोहतास, सासाराम)

(7) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–**

कार्यपालक अभियंता, एन0पी0सी0सी0, सासाराम ने बतलाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 96 पथों के निर्माण का कार्य आरम्भ कराया गया था जिसमें 73 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 23 योजनाओं में काम चल रहा है।

नोखा विधायक श्री रामेश्वर प्रसाद के प्रतिनिधि श्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि राजपुर प्रखंड में रोतवां से बिशुनपुर पथ का कार्य बिना पूर्ण कराये ही पूर्ण दिखाया गया है तथा सियांवक से राजपुर पथ का कार्य विगत 6 वर्षो के बाद भी पूरा नहीं हुआ है।

जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0पी0सी0सी0 को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड के प्रमुख एवं माननीय विधायक के प्रतिनिधि के साथ स्थल जॉंच कर जॉंच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

श्री कामेश्वर सिंह, प्रमुख, रोहतास प्रखंड ने कहा कि रसूलपुर से ढेलाबाद नावाडीह वाया खजुरी पथ का कार्य पूरा हुए तीन महीने हुए हैं लेकिन रोड टूट गयी है।

जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, एन0पी0सी0सी0 को निदेश दिया कि सड़क यदि टूट रही है तो संवेदक पर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि रोहतास प्रखंड की योजना के संबंध में वे जाँच कर उसे ठीक करवा दें। संवेदक के विरुद्व भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता, एन0पी0सी0सी0 ने कहा कि 31 अक्टूबर तक कार्रवाई की जायेगी।

जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता से जानना चाहा कि अभीतक जिस संवेदक द्वारा खराब काम कराया जाता है उसपर क्या कार्रवाई की गयी है ? उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है कि नहीं ? निदेश दिया गया कि सभी 73 योजनाओं की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम को निदेश दिया गया कि जिला स्तर से जाँच दल गठित कर उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को भी शामिल कर जाँच की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

श्री मंगल राम, प्रमुख, चेनारी प्रखंड ने कहा कि चेनारी प्रखंड में शिवसागर चेनारी से सदोखर भाया टेंगर बतनारा पथ का काम तीन वर्षों के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ है।

कार्यपालक अभियंता, एन0पी0सी0सी0 को निदेश दिया गया कि इस योजना का कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराना सुनिश्चित करें।

माननीय विधायक श्री जय कुमार सिंह के प्रतिनिधि ने बतलाया कि नटवार से [illegible] तक पथ निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर इस पथ निर्माण कार्य को पूरा करायें।

श्रीमती सीता देवी, प्रमुख, कोचस प्रखंड ने कहा कि सासाराम–चौसा रोड से कोचस तक पथ निर्माण का कार्य एन0पी0सी0सी0 को कराना था। लेकिन कार्यपालक अभियंता ने कहा कि उनके द्वारा कार्य नहीं कराया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सासाराम को निदेश दिया गया कि एन0पी0सी0सी0 से डी0पी0आर0 प्राप्त कर योजना का कार्य पूर्ण कराने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल –2 के कार्यो की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वरा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2 को निदेश दिया गया कि सभी पथों का निरीक्षण माननीय विधायक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ करके पूरी स्थिति से अवगत करावें।

माननीय विधायक श्री रामधनी सिंह ने कहा कि सावनबहार से अकोढ़ा भाया चन्द्रभानपट्टी की योजना में संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की बात कही गयी। जबकि कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना में टेन्डर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्षा द्वारा बैठक में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया तथा उन्होनें कहा कि गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के कारण बैठक में चर्चा किया जाना अनुपयोगी हो जाता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल –2 से गलत प्रतिवेदन उपलब्ध करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा सरकार को संसूचित करने का निदेश दिया गया। निदेशक, एन0ई0पी0 इसे तत्काल अनुपालित करावें।

श्री रामधनी सिंह, माननीय विधायक ने कहा कि करगहर – बडहरी पथ का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। सड़क निर्माण कार्यो में प्रगति न्यून होने का क्या कारण है ? सिरिसिया से

भगवानपुर कोनार से तोरनी वाया शिवसागर तक पथ में आवागमन बाधित है। इसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जब भी नयी योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाय तो उसके सम्बंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाय।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि देश की प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। बिहार की भी प्रगति होनी चाहिए। उद्योग लगाये जाँय लेकिन इसके लिए सड़को का निर्माण किया जाना आवश्यक है। हमारे यहाँ उद्योगपति नहीं आते है क्योंकि यहाँ रोड नही है। जिनके हाथ में यहाँ की योजनाओं के कार्यान्वयन का भार है उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है। बिजली, पानी, और रोड की व्यवस्था नहीं होने पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं खोला जा सकता है। उनके द्वारा सभी पदाधिकारियों को तत्परता पूर्वक कार्य करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन – निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम / कार्यपालक अभियंता, REO-1, REO-2, NPCC)

(8) <u>भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :–</u>

अपर समाहर्त्ता, रोहतास, सासाराम ने कहा कि इस जिले में कुल राजस्व गावों की संख्या 2100 है जिसमें से 1942 का डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि जो भूमिहीन है और उनको जो जमीन आबंटित की गयी है उसका कम्प्यूटरीकरण हुआ है कि नहीं ? यदि वह व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसके नाम से भू–अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है अथवा नहीं ?

अपर समाहर्त्ता ने कहा कि वर्तमान में मात्र खतियान से संबधित भू–अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। पंजी–2 एवं दाखिलखारिज से संबंधित अभिलेखों का दूसरे फेज मे कम्प्यूटरीकरण होगा।

(9) <u>त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम :–</u>

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, रोहतास, सासाराम द्वारा बतलाया गया कि 23 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का कार्य स्वीकृत है जिसमें से 22 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं को माह दिसम्बर 2011 तक चालू करा दिया जायेगा। विधायक मद में 638 चापाकलों का निर्माण कराना था जिनमें 576 का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

माननीय सांसद मद के तहत कुल 63 चापाकल लगाने का कार्य कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 को दिया गया था। जिनमें 24 चापाकलों का कार्य पूर्ण हो गया है 19 में कार्य चल रहा है। उनके द्वारा बतलाया कि मटेरियल का क्रय टेन्डर के माध्यम से कराया जाता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वीकृत योजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता को कहा गया कि यदि वे योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं करा सकते हैं तो राशि वापस करा दें ताकि प्रखंडों के माध्यम से याजनाओं का कार्य पूरा कराया जा सके।

कार्यपालक अभियता, पी0एच0ई0डी0 ने कहा कि दो माह के अन्दर सभी लम्बित योजनाओं का कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि नौहट्टा प्रखंड में बराबर पानी की कठिनाई होती है। इसी कारण से उनके द्वारा डीप बोरिंग चापाकल की योजनाओं की अनुशंसा की गई थी। इसमें देर किया जाना अच्छा नहीं है। (अनुपालन – कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, रोहतास, सासाराम)

(10) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :-

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 ने कहा कि सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत 1.80 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का शौचालय निर्माण कराना था जिसके विरूद्ध 75.727 परिवारों का शौचालय निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार 2.33 लाख ए0पी0एल0 परिवारों का शौचालय निर्माण कराया जाना था जिसके विरूद्ध 57119 परिवारों का शौचालय निर्माण कराया गया है।

264 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण किया जाना था जिसमें से 50 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है।

श्री मंगल राम, प्रमुख चेनारी प्रखंड ने कहा कि चेनारी प्रखंड में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 के लोगों के शौचालय निर्माण कार्य में काफी गड़बड़ी की गई है एवं लगभग 30 प्रतिशत शौचालयों का गलत फोटो समर्पित कर भुगतान किया गया है।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिस लाभुक का शौचालय बना है उसका बी0पी0एल0 नं0 के साथ फोटो खिचवाकर वहाँ के मुखिया एवं वार्ड सदस्य से सत्यापन के पश्चात भुगतान किया गया है।

माननीय विधायक श्री जय कुमार सिंह के प्रतिनिधि श्री विजय सिंह ने बतलाया कि संझौली में भी गलत भुगतान किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 ने कहा कि वर्ष 2008 के पूर्व के कराये गये शौचालय निर्माण की जाँच की जा रही है। जिसका निर्माण कराया गया है उसका भुगतान किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा चेनारी प्रखंड में कराये गये शौचालय निर्माण की जाँच कराने का निदेश उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम को दिया गया। उन्होंने निदेश दिया कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम दो पंचायतों के शौचालय निर्माण की जाँच कराई जाय। (अनुपालन – DDC, EE PHED)

(11) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम :-

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, रोहतास, सासाराम ने बतलाया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत डाकघरों के माध्यम से लाभान्वितों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 384 परिवारों को कुल 38.40 लाख रू0 उपलब्ध कराया गया है तथा 86.05 लाख रू0 अवशेष है।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि समाज में वैसी महिलाएं है जिन्हें परिवार से निकाल दिया गया है या उन्हें छोड़ दिया गया है और वह अच्छी स्थिति में नहीं है। उन्हें विशेष रूप से पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी तरह के पेंशन योजनाओं की स्वीकृति की शक्ति SDOs को दे दी गयी है। सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा को निदेश दिया गया कि विधवा महिला एवं वृद्ध जन जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है वैसे लोगों को रहने के लिए आवास एवं पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(12) अन्यान्य :-

जिला पदाधिकारी ने कहा कि पिछले दिनों सोन नदी में रिहण्द एवं बाणसागर डैम से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण सोन नदी में टीलों पर रहने वाले फँसें लोगों को बाहर निकाला गया तथा उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई गयी है।

अपर समाहर्त्ता ने बतलाया कि रोहतास प्रखंड में 89 परिवारों को 89 क्वींटल खाद्यान्न एवं नगद राशि उपलब्ध कराई गयी है। इसी प्रकार नौहट्टा प्रखंड में 256 परिवारों के बीच 256 क्वींटल खाद्यान्न एवं नगद राशि उपलब्ध कराई गयी है। तिलौथू प्रखंड में 53 परिवारों के बीच 53 क्वींटल खाद्यान्न एवं नगद राशि उपलब्ध कराई गयी है। तिलौथू में 12 परिवारों का घर गिरने की सूचना प्राप्त हुई है जिसका सर्वे कराया जा रहा है।

माननीय विधायक श्री रामधनी सिंह द्वारा बतलाया गया कि कोचस, इन्दौर, रसूलपुर एवं बलथरी राजवाहा में पानी की कमी है तथा टेल–एण्ड तक पानी नहीं पहुँच रहा है।

कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर द्वारा बतलाया गया कि दो–तीन दिनों के अन्दर टेल–एण्ड तक पानी पहुँचा दिया जायेगा।

श्री कामेश्वर सिंह, प्रमुख, रोहतास प्रखंड ने कहा कि बाढ से रोहतास प्रखंड में 100 एकड़ धान की फसल बरबाद हुई है। सोन का तटबन्ध काफी टूट गया है। तटबंध का निर्माण बोल्डर पिचिंग के माध्यम से कराया जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जितनी फसल की छति हुई है उसका सर्वे कराया जा रहा है तथा उसकी फोटोग्राफी कराकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा रहा है। जिनका नुक्सान हुआ है उनको मुआवजा भुगतान किए जाने की कार्रवाई की जायेगी।

खाद की कमी के संबंध में कई सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ने बतलाया कि इस जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त हो गयी है। अभी वर्तमान में खाद की कोई परेशानी नहीं है। बतलाया गया कि वहाँ ओवरडोज की समस्या है जिसके चलते थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि आवश्यकता बढ़ जाती है। (अनुपालन – जिला कृषि पदा0 एवं कार्यपालक अभियंता – सोन नहर प्रमंडल)

निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम द्वारा बतलाया गया कि एकीकृत कार्य योजना (आई0ए0पी0) के तहत इस जिले में 982 सोलर लाईट लगाने, 9 स्टेडियम निर्माण कराने, 5 छात्रावास निर्माण कराने 290 आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, की योजना है जिसके विरूद्ध 26 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन का निर्माण कराया गया है तथा 264 योजनाओं में कार्य चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में 15 एम्बुलेंस क्रय करने की योजना थी जिसे क्रय कर उपलब्ध करा दिया गया है। उनके द्वारा बतलाया गया कि 17 स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण, 5 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, 60 डीप बोरिंग टयूबवेल, 26 कम्यूनिटी हॉल, 9 रोड निर्माण एवं 10 गोदाम निर्माण की योजनाएँ ली गयी हैं जिनमें 59 डीप बोरिंग चापाकल एवं एक सामुदायिक भवन का निर्माण पूरा कराया गया है। कुल प्राप्त 35 करोड के आबंटन के विरूद्ध लगभग 17 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका है।

अंत में माननीय अध्यक्षा द्वारा कहा गया कि आज की बैठक में बहुत गंभीर चर्चा हुई। सारे पदाधिकारी तैयारी के साथ आए एवं जो तैयारी के साथ नहीं आये वे आगे से ध्यान रखेंगे। उनके द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को बैठक की कार्यवाही सफल ढंग से संचालित किए जाने हेतु धन्यवाद एवं बाढ़ में तत्परता से काम किये जाने तथा पीड़ितों को राहत कार्य वितरण करने हेतु प्रशासन को भी साधुवाद दिया।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
(मीरा कुमार)
माननीय अध्यक्षा, लोक सभा, सह–
अध्यक्षा जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति,
रोहतास, सासाराम

ज्ञापांक 2053/वि0, दिनांक 26/12/11

प्रतिलिपि :– सभी माननीय सदस्य.................... को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारी.................... को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजें, ताकि आगमी बैठक हेतु कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवदेन तैयार किया जा सके।

प्रतिलिपि :– श्री संतोष कुमार, भा0सि0ले0से0, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/11
जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम